न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :: नमित मेहता, आई.ए.एस

विविध :: 11/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/74

प्रार्थी :–
प्राधिकृत अधिकारी–भारतीय स्टेट बैंक शाखा–तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, मैट्रिक्स मॉल, तृतीय तल, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर। जरिये प्रा0 अधिकारी–आशीष गुप्ता।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. मैसर्स टेनसिटी इण्डस्ट्रीज इन्कॉर्पोरेशन पता–(अ)लुहारिया रोड, भगवानपुरा तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा। (ब) 102 ओम टैक्सटाईल टावर, पुर रोड, भीलवाड़ा।
2. प्रोपराईटर पारस बेरीवाला पुत्र रामगोपाल बेरीवाला निवासी सी–17, कमला विहार, सुखाड़िया स्टेडियम के पीछे, भीलवाड़ा
3. सुनीता देवी बेरीवाला पत्नी रामगोपाल बेरीवाला निवासी सी–17, कमला विहार, सुखाड़िया स्टेडियम के पीछे, भीलवाड़ा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट, 2002

दिनांकः– 09.04.2024

1. प्राधिकृत अधिकारी, **भारतीय स्टेट बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 SARFAESI Act 2002 की धारा–14 के तहत यह प्रार्थना–पत्र जरिये **अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र खोरानियां** ने **मैसर्स टेनसिटी इण्डस्ट्रीज इन्कॉर्पोरेशन वगैरह** के विरूद्ध प्रस्तुत कर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता/प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी/ऋणी को बैक/कंपनी द्वारा दिनांक 25.05.2015 जिसे प्रार्थी की मांग के अनुसार समय–समय पर नवीनीकृत किया गया तथा अन्तिम नवीनीकृत दिनांक 05.11.2022, को **कुल 3,90,00,000/–(रूपये तीन करोड नब्बे लाख) जो कि 2,67,00,000/– रूपये (रूपये दो करोड सडसठ लाख)** हो गया, **का केश क्रेडिट(हाइपोथिकेशन)लोन, टर्म लोन का ऋण** स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद/सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

> 1. **मैसर्स टेनसिटी इण्डस्ट्रीज इन्कॉर्पोरेशन प्रोपराईटर श्री पारस बेरीवाला पुत्र रामगोपाल बेरीवाला की सर्वे नं. 5198/4419, भगवानपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग जिसका क्षेत्रफल 24155 वर्गमीटर तथा (1) एक्सक्लयुसिव फर्स्ट चार्ज ऑन एन्टायर करन्ट असेट्स ऑफ द फर्म प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बाई वे ऑफ हाईपोथिकेशन ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, स्टॉक–इन–प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, कन्ज्युमेबल्स एण्ड बुक डेब्ट्स एण्ड अदर करन्ट असेट्स लेईंग इन फैक्ट्री प्रीमाईसेस इन द नेम ऑफ मैसर्स टेनसिटी इण्डस्ट्रीज इन्कॉर्पोरेशन ऑर एल्सवेयर, प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर (2) हाईपोथिकेशन ऑफ एन्टायर फिक्स्ड असेट्स, प्लान्ट एण्ड मशीनरी**

3. चूंकि ऋणी फलस्वरूप अप्रार्थी **मैसर्स टेनसिटी इण्डस्ट्रीज इन्कॉर्पोरेशन वगैरह** के द्वारा बैंक/कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक **30.05.2023** को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

(iv) The borrower has comitted default in repayment of the financial assistance granted aggregating the specified amount:

(v) Consequent upon such default in repayment of the financial assistance the account of the borrower has been classified as a non performing assest:

(vi) Affirming that the period of sixty days notice as requred by the provisions of sub section (2) of section 13, demanding payment of the defaulted financial assistance has been served on the borrower:

(vii) The objection and representation in reply to the notice received from the borrower has been considered by the secured creditor and the reasons for non-acceptance of such objection or representation had been communicated to the borrower:

(viii) The brrower has not made any repayment of the financial assistance in spite of the above notice and the Authorised Officer is, therefore, entitled to take possession of the secured assest under the provision of sub section (4) of section 13 read with section 14 of the principal Act:

(ix) That provisions of this Act and the rules made there under had been complied with:

"Provided further that on receipt of the affidavit from Authorised Officer, The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall, after satisfying the contents of the affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assest [1][within a period of thirty days from the date of application]:

[1][Provided further that if no order passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thiry days for reson beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty day]

Provided also that the requirement of filing affidavit stated in the first proviso shall not apply to proceeding pending before any District Magistrate or the Chief Metropolitan Mgistrate, as the case may be, on the date of commencement of this Act)

[2](1A) The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate may authoruise any officer subordinate to him --

(i) to take possession of such assest and documents relating thereto; and
(ii) to forward such assests and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

(3) No act of the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate [1][any officer authorised by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate] done in pursuance of this section shall be called in question in any court or before authority.

8. अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यो एवं दस्तावेजो के मध्येनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 में प्रार्थी बैंक/कंपनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि अप्रार्थी **मैसर्स टेनसिटी इण्डस्ट्रीज इन्कॉर्पोरेशन वगैरह इस आदेश से**

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

21 दिन (इक्कीस दिन) की अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पैरा संख्या–2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** को निर्देश प्रदत्त किये जाते है तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके एवं यदि सम्पत्ति में कोई किरायेदार है तो उस सम्पत्ति को छोड़ने हेतु समुचित समय देने के उपरांत ही पैरा–2 में वर्णित सम्पत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द करेंगे। **यदि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस आदेश की कार्यवाही नहीं की जावें।** जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** को आवश्यकतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे। **उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक/कंपनी, अप्रार्थीगण को देवें।**

9. आदेश आज दिनांक **09.04.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा